आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 38/2022 श्रीमती कुमांति देवी
46/2022 श्रीमती सरोज कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.06.2023	प्रस्तुत वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के वाद सं०–03/2019 में दिनांक 04.02.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। इस न्यायालय के वाद सं०–46/2022 श्रीमती सरोज कुमारी बनाम कुमांति देवी व अन्य एवं 38/2022 श्रीमती कुमांती देवी बनाम श्रीमती सरोज कुमारी व अन्य उक्त दोनो वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के वाद सं०–03/2019 के विरूद्ध दायर है एवं उक्त दोनों वादों के वादी ने एक दुसरे को पक्षकार बनाकर वाद दायर किया है। साथ ही दोनों वाद बाल विकास परियोजना, बेतिया अंतर्गत ग्राम पंचायत राज–पीपरा पकड़ी, वार्ड सं०–05, केन्द्र सं०–125 से संबंधित है इसलिए उक्त दोनो वादों के सभी पक्षकारों से एक साथ समेकित लिखित बहस प्राप्त करते हुए दिनांक 09.06.2023 को आयुक्त कार्यालय कक्ष में सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। श्रीमती कुमांति देवी (वाद सं०–38/2022 के वादी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजनान्तर्गत ग्राम पंचायत राज–पिपरा पकड़ी वार्ड सं०–05 में अवस्थित मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–125 पर सेविका पद हेतु विज्ञापन निकाला गया, जिसमें कुल 09 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। इसके बाद दिनांक 17.09.2019 को आम सभा की सूचना दिये बगैर महिला पर्यवेक्षिका ने चुप–चाप आम सभा करने लगी। इसी बीच आवेदिका आम सभा स्थल पर पहुँचकर आपत्ति की कि केन्द्र	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सं०–125 का बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति का है तथा सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति का है, फिर भी गलत तरीके से मैपिंग पंजी में अति पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति का नाम छोड़ दिया गया है। इसके बाद यह भी आपत्ति किया कि चयनित सेविका श्रीमती सरोज कुमारी की सास उक्त वार्ड सं०–05 की वार्ड सदस्य है इसलिए उनका चयन नहीं होना चाहिए। फिर भी महिला पर्यवेक्षिका ने श्रीमती कुमांति देवी के आपत्ति पर विचार किये बगैर आनन–फानन में चयन मार्गदर्शिका के विरूद्ध जाकर श्रीमती सरोज कुमारी का चयन कर चयन पत्र निर्गत कर दिया। उक्त चयन के विरूद्ध श्रीमती कुमांति देवी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष वाद सं०–01/2019 दायर किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने भी श्रीमती कुमांति देवी के बातों का संज्ञान किये बगैर श्रीमती सरोज कुमारी के चयन को सही करार दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती कुमांति देवी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष वाद सं०–03/2019 दायर किया तथा अपीलवाद में गलत चयन एवं गलत मैपिंग पंजी लगाने संबंधी आरोप लगाने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने तीन सदस्यीय संयुक्त जाँच दल गठित किया। जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया, महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती सुम्मी श्रीवास्तव एवं महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती दिल्जु कुमारी थी। आगे श्रीमती कुमांति देवी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने तीन सदस्यीय कमिटि में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को रखा जो बिना पक्षकारों को नोटिस निर्गत किये तथा अभिलेखों का अवलोकन किये बगैर श्रीमती सरोज कुमारी के चयन को सही करार दी थी एवं दूसरी महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती दिल्जू कुमारी थी, जो आनन–फानन में सेविका श्रीमती सरोज कुमारी का चयन की थी। इसलिए गठित जाँच दल विश्वसनीय नहीं था। जाँच दल ने अपना जाँच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उस जाँच प्रतिवेदन में एक तरफ मैपिंग पंजी में गड़बड़ी होने की बात बतायी है वहीं दुसरी तरफ गलत तरीके से उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–125 पर बाहुल्य वर्ग पुनः अति पिछड़ा वर्ग होना बताया। इसलिए जो जाँच हुआ वह सही नहीं हैं। आगे श्रीमती कुमांति देवी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अन्य परियोजना के पदाधिकारी से जाँच करवाना चाहिए था जो नहीं कराया गया। आगे श्रीमती कुमांति देवी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने श्रीमती सरोज कुमारी के चयन को रद्द किया वह सही है परन्तु उक्त केन्द्र का बाहुल्य वर्ग अनुसचित जाति घोषित करते हुए आवेदिका श्रीमती कुमांति देवी का चयन का आदेश देना चाहिए था, जो नहीं किया गया इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश गलत है।

श्रीमती सरोज कुमारी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–125 पर 17.09.2019 को आम सभा बुलाई गई जिसके पूर्व वृहत पैमाने पर प्रचार–प्रसार किया गया था तथा आम सभा में चयन समिति के सभी सदस्य भी उपस्थित थे। प्रश्नगत केन्द्र का बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है सर्वप्रथम आम सभा में महिला पर्यवेक्षिका ने उक्त बात स्पष्ट कर दी थी। आम सभा में बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग से एक मात्र अभ्यर्थी श्रीमती सरोज कुमारी को आम सभा में सर्वसम्मती से चयन कर लिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध श्रीमती कुमांति देवी ने बाल विकास परियोजन पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष वाद सं०–01/2019 दायर किया, जिसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती कुमांति देवी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष वाद सं०–03/2019 दायर किया एवं आरोप लगाया कि केन्द्र सं०–125 का बाहुल्य वर्ग गलत तरीके से अति पिछड़ा दर्शाया गया, जबकि बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जाति का है तथा उक्त केन्द्र के मैपिंग पंजी में वार्ड सं०–06 के व्यक्ति का नाम भी जोड़ दिया गया है, जबकि केन्द्र का निर्माण वार्ड सं०–05 से हुआ है, के संबंध में श्रीमती सरोज कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत केन्द्र का निर्माण वार्ड सं०–05 से हुआ है तथा उक्त केन्द्र के लिए जो मैपिंग पंजी तैयार हुआ उसमें केवल वार्ड सं०–05 के व्यक्ति का नाम दर्ज है तथा बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है जिसकी कुल संख्या–338 है जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या मात्र 168 हैं। इस प्रकार मैपिंग पंजी में कोई त्रुटि नहीं है एवं अति पिछड़ा वर्ग होने के कारण श्रीमती सरोज कुमारी का चयन हुआ जो नियमानुकूल है। आगे श्रीमती सरोज कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

WEB COPY NOT OFFICIAL

	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने सुनवाई के दौरान प्रश्नगत केन्द्र के मैंपिग पंजी की जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया, महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती जयमाला कुमारी एवं श्रीमती सुम्मी श्रीवास्तव से कराया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–125 का बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का है। साथ ही मैपिंग पंजी के संबंध में प्रतिवेदित किया कि मैपिंग पंजी में वार्ड सदस्य श्रीमती कौशल्या देवी का हस्ताक्षर नहीं है बल्कि वार्ड सदस्य के रूप में उनके पति श्री तुलसी ठाकुर का हस्ताक्षर है, के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा श्रीमती सरोज कुमारी को सेविका पद से पदच्युत कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार मैपिंग पंजी ही त्रुटिपूर्ण था, फिर भी आम सभा में श्रीमती सरोज कुमारी का चयन कर दिया गया जो गलत है। मैपिंग पंजी में वर्तमान वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर नहीं था अपितु वर्तमान वार्ड सदस्य के पति का हस्ताक्षर था इसलिए मैपिंग पंजी ही त्रुटिपूर्ण हो गया। ऐसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है। उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में वाद का मुख्य विषय वस्तु मैपिंग पंजी को लेकर है। ऐसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने तीन सदस्यीय दल का गठन कर मैपिंग पंजी की जाँच करवायी, जिसमें यह बात तो स्पष्ट हुआ कि जाति बाहुल्यता अति पिछड़ा वर्ग का था परन्तु मैपिंग पंजी में श्री तुलसी ठाकुर (वर्तमान पंचायत चुनाव वर्ष 2016 के वार्ड सदस्य के पति) वार्ड सदस्य वार्ड सं०–05 का हस्ताक्षर एवं मोहर पाया गया जो कि वर्ष 2011 में वार्ड सदस्य चुने गये थे। जबकि महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती मंजु कुमारी का हस्ताक्षर दिनांक 24.05.2019 का है। अर्थात उस समय (दिनांक 24.05.2019) वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में श्रीमती कौशल्या देवी वार्ड सदस्य थी, जिनका हस्ताक्षर नहीं पाया गया तथा मैंपिंग पंजी के जाँच के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि माली एवं पंसारी जाति के एक भी परिवार उस वार्ड (वार्ड सं०–05) के नहीं पाये गये वे सभी वार्ड	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सं०–06 के मतदाता थे। उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि उक्त मैपिंग पंजी ही त्रुटिपूर्ण है। अर्थात चयन की प्रक्रिया ही *"ab initio ultra vires"* है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत राज–पिपरा पकड़ी, वार्ड सं०–05 पर सेविका चयन हेतु तैयार की गयी मैपिंग पंजी में लापरवाही बरती गयी ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण मैपिंग पंजी के आधार पर क्रियान्वित चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए श्रीमती सरोज कुमारी को सेविका पद से पदच्यूत एवं अन्यून न्यायालय (बाल विकास परियाजना) के आदेश को अपास्त करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को **आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 3953 दिनांक 10.08.2021** के आलोक में जिसमें अंकित है कि ***"सेविका/सहायिका चयन हेतु रिक्ति प्रकाशन के संबंध में निदेशित है कि अब जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के कंडिका 07 के अनुसार इस हेतु आवश्यक कार्य जैसे – सर्वे, मैपिंग आदि कराकर जिला पदाधिकारी के स्तर से विज्ञापन प्रकाशन कराया जाना है। ताकि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रिक्ति को भरा जा सके।"*** का निदेश दिया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के वाद सं०–03/2019 में दिनांक 04.02.2022 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे अक्षुण्ण रखा जाता है तथा श्रीमती कुमांति देवी (वाद सं०–38/2022) एवं श्रीमती सरोज कुमारी (वाद सं०–46/2022) के पुनरीक्षण वाद **अस्वीकृत** किया जाता है। साथ ही निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि **आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 3953 दिनांक 10.08.2021** के आलोक में एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL